,

# न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 14/2017 निर्णय दिनांक 03.10.2017

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छतरगढ़(ए) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (सायल)

बनाम

फूले खां पुत्र हुसैन खां जाति मुसलमान साकिन चक 1 सी.एच.एम तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (गैरसायल)

**अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22**

**-निर्णय-**

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छतरगढ़ (ए) ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि गैर सायल फूले खां पुत्र हुसैन खां जाति मुसलमान साकिन चक 1 सी.एच.एम तहसील छतरगढ़ ने कृषि सम्वत् 2074 में चक 1 सी.एच.एम के मुरब्बा नम्बर 143/56 के किला नम्बर 8 = 0.10, 11=0.05 कुल 0.15 बीघा कमाण्ड गैर मुमकिन मण्डी की भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से फसल खरीफ(ग्वारं) कास्त कर ली है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नोटिस मे इसी भूमि पर कृषि सम्वत् 2073 फसल खरीफ मे अप्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का भी हवाला दिया गया था। पत्रावली दिनांक 09.08.2017 को पेशी मे ली गई। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। गैरसायल नोटिस प्राप्ति के बावजूद अनुपस्थित। पत्रावली दिनांक 08.09.2017 को पेशी मे ली गई, गैरसायल ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प 50/-रू शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त रकबे पर अतिक्रमण भूलवंश किया गया है। अतिक्रमित भूमि का कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी भी अराजीराज भूमि पर अतिक्रमण नही करूगा।

भू.अ.निरीक्षक छतरगढ, पटवारी हलका छतरगढ़ (ए) द्वारा उक्त रकबे की कुर्की की कार्यवाही दिनांक 11.09.2017 को की गई। फर्द कुर्की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2017 को न्यायालय हाजा में पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

न्यायालय हाजा की पूर्व पत्रावली वाद संख्या 09 वर्ष 2016 का अवलोकन किया गया। गैरसायल फूले खां पुत्र हुसैन खां जाति मुसलमान साकिन चक 1 सी.एच.एम तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ने कृषि सम्वत 2073 फसल खरीफ में चक 1 सी.एच.एम के मु0न0 143/55 कि.न. 6=1.00 बीघा अनकमाण्ड, मु0न0 143/56 कि0न0 8 = 0.10 बीघा कमाण्ड, मु0न0 143/63 के कि0न0 10 =0.10 अनकमाण्ड, 12 =1.00 अनकमाण्ड, 19 =1.00 अनकमाण्ड, 22 = 1.00 अनकमाण्ड कुल 5.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड गैरमुमकिन मण्डी की भूमि पर ग्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया था, गैरसायल के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसमे विधिवत् निर्णय दिनांक 19.09.2016 को पारित किया जाकर, गैरसायल को उक्त रकबे से दिनांक 18.10.2016 को बेदखल कर दिया गया था।

P.T.0

**राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड़ का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।**

गैरसायल ने चक 1 सी.एच.एम के मुरब्बा नम्बर 143/56 के किला नम्बर 8 = 0.10 बीघा कमाण्ड गैर मुमकिन मण्डी की भूमि पर इस वर्ष भी ग्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। गैरसायल ने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नही करने की दुस्साहसिक प्रवृति का इस वर्ष भी दोहराव किया है। प्रकरण मे गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है, **तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के कृत्य मे 3 माह के सिविल कारावास से दण्ड़ित करने के आदेश दिये जाते है** तथा भू-राजस्व का 50 गुना 66/- अक्षरे छयासठ रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। है। भू.अ.निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे।

इस क्रम मे **राजस्थान उपनिवेशन (अतिचारियो का निष्कासन) नियम 1975** के अन्तर्गत अतिचारी की गिरफ्तारी का वारण्ट (प्रारूप ख धारा 22 के अधीन) थानाधिकारी पुलिस थाना छत्तरगढ़ को निष्पादन हेतु सौपा जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि वह उसे सुविधापूर्वक पूर्ण शीघ्रता से इस न्यायालय के समक्ष हाजिर करे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा बहक सरकार लेने बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों। इजराय पत्रावली अलग से मुर्तीब की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार राव)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)
छत्तरगढ़ (बीकानेर)